



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 18.03.2024

थाना कोतवाली शामली व आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा वाहन चोर गिरोह के 09 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 06 मोटरसाइकिल, रेहड़ा व मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद:-

आज दिनांक 18.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाये जा रहे वाहन चोरी की रोकथाम एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली व थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा अलग अलग कार्यवाही करते हुए वाहन चोर गिरोह के 09 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से चोरी की 06 मोटरसाइकिल व चोरी की मोटरसाइकिल को मोडिफाई कर माल ढोने का 01 रेहड़ा तथा मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद हुए हैं। उपरोक्त घटनाओं में वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली शामली व आदर्शमण्डी पुलिस लगातार प्रयासरत है। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली व आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.सौरभ पुत्र राजू निवासी ग्राम टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2.सोनू पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम नगवा थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
- 3.अंकित पुत्र सतपाल निवासी ग्राम टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।
- 4.गौरव पुत्र राजू निवासी ग्राम टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।
- 5.दीपक पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।
- 6.भोलू पुत्र पप्पू निवासी ग्राम टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।
- 7.शुभम पुत्र शौकीन निवासी ग्राम टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।
- 8.रोहित पुत्र कर्मवीर निवासी ग्राम भावसा थाना तितरो जनपद सहारनपुर (गिरफ्तारी थाना आदर्शमण्डी द्वारा)
- 9.सोनू पुत्र जगदीश निवासी ग्राम भावसा थाना तितरो जनपद सहारनपुर (गिरफ्तारी थाना आदर्शमण्डी द्वारा)

बरामदगी का विवरण:-

- 1.चोरी की मो0सा0 हीरो पैशन रजि0 नं0 HR01AC-3590 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 130/24 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली शामली)
- 2.चोरी की मोटरसाइकिल हीरो स्पलेंडर नं-UP19AE-7779 को मोडिफाई करके माल ढोने का रेहड़ा बनाया गया (सम्बन्धित मु0अ0सं0 34/24 धारा 379, 411, 427 भादवि थाना कोतवाली शामली)
- 3.मोडिफाई रेहड़ा पर रखे हुये इंजन नम्बर-HA11EYLHJ71297, जिसे ई-चालान एप्प पर चैक करने पर रजि0 नं-UP12BE-4134 हीरो स्पलेंडर मॉडल 2020 चेसिस नम्बर-MBLHAW12XLHJ76014 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 96/24 धारा 379, 411 भादवि0 थाना को0 शामली)
- 4.चोरी की मो0सा0 होण्डा साईन रजि0 नम्बर- UP19C-1610।
- 5.चोरी की मो0सा0 सुपर स्पलेंडर रजि0 नम्बर-UP19B-3450 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 131/24 धारा 379, 411 भादवि थाना कोतवाली शामली)
- 6.चोरी की मो0सा0 नम्बर UP12AK-8824 (चेसिस नम्बर MB8NG4BAJF8205857 व इंजन नम्बर BGA1194234)
- 7.चोरी की मो0सा0 एच0एफ0 डीलक्स रजि0 नं0-HR05AW-7770।
- 8.चोरी की मो0सा0 हीरो स्पलेंडर रजि0 नं-UP19L-7017 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 47/24 धारा 379, 411 भादवि थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली-रोहित व सोनू उपरोक्त से बरामद)।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सौरभ उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0स0 34/2024 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामिल ।
- 2.मु0अ0स0 96/2024 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामिल ।
- 3.मु0अ0स0 130/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामिल ।
- 4.मु0अ0स0 131/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामिल ।
- 5.मु0अ0स0 136/2024 धारा 414 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामिल ।
- 6.मु0अ0स0 279/2022 धारा 366 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सोनू उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0स0 34/2024 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामिल ।
- 2.मु0अ0स0 96/2024 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामिल ।
- 3.मु0अ0स0 130/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामिल ।
- 4.मु0अ0स0 131/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामिल ।
- 5.मु0अ0स0 136/2024 धारा 414 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामिल ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अंकित उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0स0 240/2017 धारा 363/376 भादवि 3/4 पोक्सो एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2.मु0अ0स0 94/2020 धारा 147/148/149/302/504 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3.मु0अ0स0 34/2024 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामिल ।
- 4.मु0अ0स0 96/2024 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामिल ।
- 5.मु0अ0स0 130/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामिल ।
- 6.मु0अ0स0 131/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामिल ।
- 7.मु0अ0स0 136/2024 धारा 414 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामिल ।
- 8.मु0अ0स0 218/2022 धारा 392/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 9.मु0अ0स0 222/2022 धारा 414 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गौरव उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0स0 100/2020 धारा 328/363/376/506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना दोघट बागपत
- 2.मु0अ0स0 279/2022 धारा 366 भादवि थाना दोघट बागपत
- 3.मु0अ0स0 505/23 धारा 379/411 भादवि थाना सदर जनपद करनाल (हरियाणा) ।
- 4.मु0अ0स0 1232/23 धारा 379/411 भादवि थाना सदर जनपद करनाल (हरियाणा) ।
- 5.मु0अ0स0 34/2024 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामिल ।
- 6.मु0अ0स0 96/2024 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामिल ।
- 7.मु0अ0स0 130/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामिल ।
- 8.मु0अ0स0 131/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामिल ।
- 9.मु0अ0स0 136/2024 धारा 414 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामिल ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दीपक उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0स0 136/2024 धारा 414 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामिल ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त भोलू उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0स0 136/2024 धारा 414 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामिल ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शुभम उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0स0 131/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामिल ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रोहित व सोनू उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0स0 47/24 धारा 379, 411 भादवि थाना आदर्शमण्डी जनपद शामिल ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.प्रभारी निरी0 श्री सचिन शर्मा थाना आदर्शमण्डी जनपद शामिल ।

- 2.उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- 3.उ0नि0 श्री अरुण कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- 4.उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली ।
- 5.प्रभारी उ0नि0 श्री फतेह सिंह सर्विलांस सैल जनपद शामली ।
- 6.है0का0 राजू त्यागी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- 7.है0 का0 मोहित कुमार सर्विलांस सैल जनपद शामली ।
- 8.है0का0 सोहित कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- 9.है0का0 रिकू सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- 10.है0का0 विकास पूनिया थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- 11.है0का0 जहीन थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली ।
- 12.है0का0 विकास कुमार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली ।
- 13..का0 मनीष कुमार सर्विलांस सैल जनपद शामली ।
- 14.का0 मोहित कुमार सर्विलांस सैल जनपद शामली ।
- 15.का0 सुशील कुमार सर्विलांस सैल जनपद शामली ।
- 16.का0 सुधांशु थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- 17.का0 अनुज पूनिया थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- 18.का0 अनुज कुमार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली ।
- 19.का0 राहुल कुमार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली ।



थाना कोतवाली शामली व आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध कच्ची शराब व देशी

शराब बरामद:-

दिनांक 17/18.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाए जा रहे अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली व आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से अवैध 10 लीटर कच्ची शराब व 25 पक्वे देशी शराब बरामद हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली व आदर्शमण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.नीटू पुत्र सतपाल निवासी ग्राम कुरावा थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर।
- 2.दीपक पुत्र धनपाल निवासी मौ0 गांधीनगर कस्बा बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.अवैध 10 लीटर कच्ची शराब।
- 2.अवैध 25 पक्वे देशी शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री विक्रम सिंह थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
- 2.है0का0 आशीष कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 3.है0का शौकीन थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
- 4.है0का0 विकास कुमार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
- 5.का0 अर्जुन त्यागी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा एवं कारतूस बरामद:-

आज दिनांक 18.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अलग-अलग कार्यवाही करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 01 तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर व 01 तमंचा मय 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. इरफान उर्फ फरमान पुत्र गफ्फुरा निवासी ग्राम युसूफपुर उर्फ चौतरा थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. साबिर पुत्र वहीद निवासी ग्राम चौसना थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध 01 तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर।
2. अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 100/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली (इरफान उर्फ फरमान)
2. मु0अ0सं0 101/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली (साबिर)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अजयपाल सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. उ0नि0 ओमबीर सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. है0का0 अमित सागवान थाना झिंझाना जनपद शामली।
4. है0का0 राहुल कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
5. है0का0 आशीष कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
6. का0 शान्तनु यादव थाना झिंझाना जनपद शामली।
7. का0 सुमित नागर थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना कैराना पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा एवं कारतूस बरामद:-

आज दिनांक 18.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा अलग-अलग कार्यवाही करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से अवैध 02 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.शहजाद पुत्र साजिद निवासी मौ0 आर्यपुरी कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।
- 2.इमरान पुत्र गय्यूर निवासी मौ0 राजनगर कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर (शहजाद)।
- 2.अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर (इमरान)।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शहजाद उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0सं0 112/24 धारा 147,149,323,504,506 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
- मु0अ0सं0 124/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त इमरान उपरोक्त:-

- 2.मु0अ0सं0 125/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
- 2.उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
- 3.है0का0 कुलवंत थाना कैराना जनपद शामली।
- 4.है0का0 वर्णकार थाना कैराना जनपद शामली।
- 5.है0का0 संदीप कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
- 6.का0 अमित कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
- 7.का0 निशान्त कुमार थाना कैराना जनपद शामली।



थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध देशी शराब बरामद:-

आज दिनांक 18.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाए जा रहे अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 32 पच्चे देशी शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.रमेश पुत्र गेंदा निवासी ग्राम इस्सोपुर टीम थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 32 पच्चे देशी शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

2.है0का0 विपिन कुमार थाना कांधला जनपद शामली।



जनपद पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी/वांछित अभियुक्त किये गिरफ्तार:-

दिनांक 18.03.2024 की रात्रि को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में जनपद पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी/वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध में सम्बन्धित थानों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

अमित पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम लिसाढ थाना कोतवाली जनपद शामली।

सुभाष पुत्र काला निवासी ग्राम चन्देनामाल थाना थानाभवन जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्वक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना, शामली द्वारा सुनाई 10 वर्ष के कारावास की सजा एवं 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

वर्ष 2023 में थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त मुजम्मिल पुत्र यासीन निवासी ग्राम केड़ी थाना बाबरी जनपद शामली द्वारा नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी। घटना के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना बाबरी पर लिखित तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में आज दिनांक 18.03.2024 को माननीय न्यायालय एडीजे-स्पेशल पोक्सो कोर्ट कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त मुजम्मिल उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 5000/- रुपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 366 भादवि में 07 वर्ष का कारावास व 5000/- रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 04 माह का अतिरिक्त कारावास एवं धारा 376 भादवि में 10 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 04 माह का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 3/4 पोक्सो अधिनियम में 10 वर्ष के कारावास की सजा व 10,000/- रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 04 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्त:-

1. मुजम्मिल पुत्र यासीन निवासी ग्राम केड़ी थाना बाबरी जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI